| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15 | Parbani | 1416 |
| 16 | Beed | 1195 |
| 17 | Nanded | 1425 |
| 18 | Osmanabad<br>Latur | 1589 |
| 19 | Buldhana | 1267 |
| 20 | Akola | 1539 |
| 21 | Amravati | 1689 |
| 22 | Yavatmul | 1732 |
| 23 | Wardha | 1002 |
| 24 | Nagpur | 1642 |
| 25 | Bhandara | 1620 |
| 26 | Chandrapur<br>Gadchiroli | 2720 |

**इंस्पेक्टरों और सहायक अधीक्षकों द्वारा धरना**

62. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकखानों और आर० एम० एस० में कार्यरत इंस्पेक्टरों और सहायक अधिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में हाल ही में डाक-तार भवन, नई दिल्ली के समक्ष कोई "धरना" आयोजित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधिर गोमांगो) :** (क) जी, हां।

(ख) डाकखानों और आर० एम० एस० के इंस्पेक्टरों और सहायक अधीक्षकों के अखिल भारतीय संघ द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई मांगें और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया संलग्न विवरण में दी गई है ।

**विवरण**

**मांग सं. 1 : डाक विभाग के इन्स्पेक्टरों और सहायक अधीक्षकों के वेतन मानों में संशोधन और डाकघर इन्स्पेक्टरों को आई.आर.एम.एस. के साथ तथा सहायक डाक अधीक्षकों को ए.एस.आर.एम.एस० के साथ मिलाना।**

चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 10.44 के अनुसरण में डाकघरों तथा आर० एम०एस० के निरीक्षकों ने वेतन में संशोधन की मांग की है। इस संबंध में चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं। जहां तक सहायक अधीक्षक के वेतन मानों में संशोधन करने का प्रश्न है, इसे अभी माना नहीं गया है।

**मांग सं० 2 : डाक विभाग में इंस्पेक्टरों और सहायक अधीक्षकों के पदोन्नति के अवसरों में सुधार करना।**

पदोन्नति के अवसरों में सुधार का मामला विचाराधीन है और प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

**मांग सं० 3 : चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में उत्पन्न हुई विषमतायें दूर करने के लिये विभाग द्वारा बैठित विषमता समिति की रिपोर्ट पर भारतीय सहायक अधीक्षकों, इंस्पेक्टरों और डाकघर निरीक्षकों तथा सहायक अधिक्षकों के अखिल भारतीय परिसंघों का अभ्यावेदन।**

विभागीय परिषद को किसी अन्य समिति की तरह विभागीय विषमता समिति का गठन करना होगा और कर्मचारी पक्ष की ओर से केवल विभागीय कौंसिल के सदस्य ही इस समिति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। चूंकि इन संघों को विभागीय कौंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अतः (विषमता समिति) में प्रतिनिधित्व के लिए उनकी मांगें स्वीकार करना संभव नहीं है।

**मांग सं. 4 : डाकघरों और आर.एम.एस. के उप-विभागीय निरीक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार (आवास, कार्यालय, किराया तथा वर्ग "घ" कर्मचारियों की सुविधा में वृद्धि, डाइरराइटरों की आपूर्ति तथा टेलीफोन कनेक्शन इत्यादि)।**

सर्किल अध्यक्षों को आदेश दिये गये हैं कि उन्हें नये भवन बनाते समय डाकघर निरीक्षक कार्यालयों की आवश्यकता हेतु निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। किराया दर में वृद्धि और सफाई भत्ता देने का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है। उप-मण्डलीय निरीक्षकों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सुविधा उपलब्ध करवाने के मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि अ०वि० बंगलो समिति (तबूर समिति) की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप उपमंडलीय निरीक्षकों के साथ तैनात अर्दलियों के पदों को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये गये थे। अर्दली के पदों की समाप्ति के बाद विभागीय भवनों में स्थित उपमंडलीय निरीक्षकों कार्यालयों के लिए वर्तमान समूह "घ" कर्मचारियों की संख्या में से ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सुविधा उपलब्ध करवाने संबंधी आदेश जारी कर दिये गये थे।

टाइपराइटर की व्यवस्था संबंधी मामला विचाराधीन है, जहां तक लिपिकीय सहायता प्रदान करने का संबंध है उपमंडल निरीक्षकों के स्वीकृति मानदंडों में लिपिकों का कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। अतः वर्तमान मानदंडों के अनुसार उपमंडल निरीक्षकों को लिपिकीय सहायता मुहैया करना संभव नहीं है जहां तक टेलीफोन की सुविधा का प्रश्न है विभागीय भवनों में स्थित डाकघर निरीक्षकों के कार्यालयों में एक्सटेंशन सुलभ करवाए जा सकते हैं।

निरीक्षकों को अलग आवासीय टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना संभव नहीं होगा जहां उनके आवास कार्यालय परिसरों में ही स्थित हैं।

**मांग सं० 5 : समूह "क" पदों को 50:50 के अनुपात में बराबर का हिस्सा मुहैया करने की दृष्टि से विभाग में समूह "क" और समूह "ख" सेवाओं के वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन और बड़ी संख्या में पदोन्नति को रोकना। समूह "ख" और "क" पदों को समाप्त करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।**

समूह "क" के भर्ती नियमों में संशोधन का मामला विचाराधीन है। विद्यमान "ख" और "क" के पदों को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि इन प्रत्येक मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

मांग सं. 6 : स्पीड पोस्ट को इक्कठा करने के केन्द्रों में निरीक्षक/सहायक अधीक्षक के पदों को स्वीकृति ।

उचित पदों की स्वीकृति के मामले पर निधि की उपलब्धता की शर्त पर गुणावगुण के आधार पर विचार होगा ।

मांग सं. 7 : डाक निदेशालय में तैनात किये गये निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों में बाह्य स्थान भत्ते में संशोधन ।

बाह्य स्थान भत्ता प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में है। डाकघर निरीक्षण/रेल डाक निरीक्षक/सहायक अधीक्षक डाकघर/सहायक अधीक्षक रेल डाक को भी डाक निदेशालय में तैनात किए जाने के फलस्वरूप विशेष वेतन दिया जाता है। विशेष वेतन चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद 75 रुपये से बढ़ाकर दो गुना अर्थात् 150 रुपये कर दिया है। वास्तव में उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारी बाह्य स्थान भत्ता और विशेष वेतन के बदले 5 अथवा 10 प्रतिशत की निर्धारित दर पर प्रतिनियुक्त भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते है। चूंकि बाह्य स्थान भत्ता और विशेष वेतन पहले से प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को इसके परिणामस्वरूप परेशानियां होंगी। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि उनकी हकदारी में कोई परिवर्तन न किया जाए और बाह्य स्थान भत्ते की राशि 45 प्रतिमाह की मौजूदा दर पर जारी रखी जाये।

**Allowances to the Postal Employees in the border areas**

63. SHRI RAOOF VALIULLAH; Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether border allowance is paid to the Postal employees in the border districts of the States of Punjab and Rajasthan, if so, the quantum of such allowance paid to the employees and since when;

(b) whether this allowance is also paid to the employees in the border district of Kutch in Gujarat, if not, what are the reasons therefor; and

(c) what are the other benefits for the employees working in border areas in the North-eastern, western, and Northern regions of the country which are close to the International border?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) Yes, Sir. The Border Allowance has been granted to the Central Government Employees including postal employees, but excluding members of security forces and those whose conditions of recruitment cover service in Border areas, in specified border areas of Punjab and Rajasthan with effect from 1-8-88 at the following rates:

| Pay ranges (Basic Pay) | Rate |
|---|---|
| | (Rs. per month) |
| Below Rs. 950 | 20 |
| Rs. 950 and above but below Rs. 1,500 | 40 |
| Rs. 1500 and above but below 2,000 | 60 |
| Rs.2000 and above but below Rs. 3,000 | 80 |
| Rs. 3,000 and above | 100 |

(b) The Government has not so far considered the question of grant of Border Allowance in the border district of Kutch in Gujarat.